



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930

No. 29]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2009

सं. फा. 3(130-ए)/टैरिफ/डीईआरसी/2006-07,—

जबकि डीईआरसी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2007 का अनुमोदन कर दिया है और आयोग के दिनांक 18 मई, 2007 के पत्र संख्या फा. 3(130-ए)/टैरिफ/डीईआरसी/2006-07/663 द्वारा अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अग्रप्रेषित किया गया है;

2. जबकि उपर्युक्त विनियमनों को दिल्ली राजपत्र, असाधारण के भाग IV में दिनांक 30 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था;

3. जबकि उक्त विनियमनों में टंकण संबंधी त्रुटि देखी गई है जिसे निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी कर ठीक किए जाने की आवश्यकता है;

4. उपर्युक्त विनियमनों के नियम 5.4(ख) में “ओ एण्ड एम” शब्द के स्थान पर “आर एण्ड एम” लागतों को प्रतिस्थापित किया जाता है। इसलिए, नियम 5.4(ख) का संशोधित पाठ निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

“‘के’ आर और एम लागत तथा सकल नियत आस्थियों (जी एफ ए) के मध्य एन वर्ष के लिए संबंध शासित करने वाला एक स्थिरांक है (% में अभिव्यक्त किया जा सकता है)। ‘के’ का मूल्य आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत तथा किसी अन्य तथ्य जो आयोग को समुचित लगे, के आधार पर एमवाईटी टैरिफ आदेश में अवधारित किया जाएगा।”

अमरेंद्र के. तिवारी, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एल/08-असा.]

DELHI ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th January, 2009

No. F. 3(130-A)/Tariff/DERC/2006-07,—Whereas DERC has approved the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2007 and forwarded to the Government of NCT of Delhi for Notification *vide* the Commission's letter No. F. 3(130-A)/Tariff/DERC/2006-07/663 dated 18th May, 2007;

2. Whereas the aforesaid Regulations were notified in Part IV of Delhi Gazette, Extraordinary on 30th May, 2007;

3. Whereas a typographical error has been observed in the said Regulations which need to be rectified by issuing following corrigendum;

4. In Clause 5.4(b) of the above Regulations, the words “O & M” shall stand replaced with “R & M” costs. Hence, the corrected version of Clause 5.4(b) shall be read as under :

“‘K’ is a constant (could be expressed in %) governing the relationship between R & M costs and Gross Fixed Assets (GFA) for the nth year. Value of ‘K’ shall be determined by the Commission in the MYT. Tariff Order based on Licensee's filing, bench marking, approved cost by the Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate.”

AMARENDRA K. TEWARY, Secy.

[ADVT III/4/187-L/08-Exty.]